

## राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आखिरी मसौदा जारी

### चर्चा में क्यों?

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) का दूसरा और आखिरी मसौदा जारी कर दिया गया। इसके तहत 2.90 करोड़ लोगों को राज्य का वैध नागरिक माना गया है। करीब 40 लाख लोग अपनी नागरिकता के वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में नाकाम रहे हैं। इससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

### प्रमुख बंदि

- गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिनका नाम सूची में नहीं है उन्हें फ़लिहाल वदिशी घोषति नहीं किया जाएगा।
- एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम-पते और फोटो हैं जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है।
- राज्य के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल ने इसे ऐतहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह हमेशा लोगों की यादों में बना रहेगा। राज्य में एहतियातन सभी 33 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
- असम में वैध नागरिकता के लिये 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 2,89,83,677 लोगों के पास ही नागरिकता के वैध दस्तावेज़ मलि।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा मसौदा पछिले वर्ष दसिंबर में जारी किया गया था। इसमें केवल 1.9 करोड़ लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना गया था।
- नागरिक रजिस्टर बनाने की पूरी प्रक्रिया सीधे सुप्रीम कोर्ट की नगरानी में संपन्न की गई है।

### नाम दर्ज कराने का मलैगा मौका

- NRC के अनुसार यह अंतमि मसौदा है, फाइनल लसिट नहीं। छूट गए लोगों के नाम दर्ज करने के लिये 2500 ट्रबियूनल का गठन किया गया है।
- इन गठति ट्रबियूनल में 25 मार्च, 1971 से पहले के नागरिकता संबंधी वैध दस्तावेज़ पेश करने होंगे। इसके लिये उन्हें एक फॉर्म भरना होगा।
- इसके बाद उन्हें अपने दावे को दर्ज कराने के लिये अन्य नरिदषिट फॉर्म भरना होगा, जो 30 अगस्त से 28 सतिंबर तक उपलब्ध रहेगा। फाइनल लसिट 31 दसिंबर तक जारी होगी।

### कनिहें अवैध करार दिया गया

- जो एनआरसी में वैध दस्तावेज़ संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं कर सके।
- जनिके पास 25 मार्च, 1971 से पहले की नागरिकता के कानूनी दस्तावेज़ नहीं हैं।
- चोरी-छपि बांग्लादेश से आए लोग भी भारतीय दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए।
- संदिग्ध मतदाताओं, उनके आश्रितों, वदिशी न्यायाधिकरण में गए लोगों और उनके बच्चों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

### पृष्ठभूमि

- असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नकिलाने के लिये सबसे पहले 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) बनाया गया था।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे लोगों की सही तरह पहचान कर उन्हें वापस उनके देश भेजना है।
- घुसपैठियों को बाहर नकिलाने के लिये पहला आंदोलन 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनिन और असम गण परिषद ने शुरू किया। इस आंदोलन ने हसिक रूप ले लिया और करीब 6 साल तक चला। इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई।
- 1985 में केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ ऑल असम स्टूडेंट यूनिन और असम गण परिषद के नेताओं की वार्ता हुई।
- इस वार्ता में 1951 से 1971 के बीच भारत आए लोगों को नागरिकता देने और 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों को वापस भेजने की बात तय हुई। लेकिन यह वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी।

